<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–02, मथुरा।</u>

सत्रवाद संख्या– 1727/2021

राज्य ––– **बनाम** ––– जगवीर सिंह उर्फ जग्गो

मु०अ०सं०–07/2019

धारा–302 सपठित धारा 120 बी भा०दं०सं०

थाना–राया, मथुरा।

<u>10–05–2024</u>

पेश। पुकार पर अभियुक्त जगवीर सिंह उर्फ जग्गो जिला कारागार से आदेश दिनांकित 03–05–2024 के क्रम में तलबी पर पेश किया गया। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्रीपाल सिंह तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) उपस्थित हैं। अभियुक्त जगवीर सिंह उर्फ जग्गो को अभिरक्षा में लिया गया व उसका धारा 309 द०प्र०सं० का वारण्ट बनाया गया।

2– इस स्तर पर अभियुक्त जगवीर सिंह उर्फ जग्गो द्वारा एक प्रार्थनापत्र, प्रार्थनापत्र में उल्लिखित तथ्यों पर विचार कर, उसकी पत्रावली किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानांतरित करायी जाकर अथवा पत्रावली स्थानांतरित कराने का समय देकर, उसके प्रार्थनापत्र दिनांकित 04–03–2024 पर पुनर्विचार कराये जाने की याचना की। पेश होकर प्रार्थनापत्र अधो–आदेश के साथ निस्तारित किया गया। *" प्रार्थनापत्र येन–केन–प्रकारेण प्रकरण में आरोप न लगने देने के उद्देश्य के क्रम में प्रस्तुत किया गया है। जबकि उसके द्वारा पूर्व में भी न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों के विरुद्ध इस प्रकार के प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये गये हैं। यह भी कि इस सत्रवाद की मूल सत्रवाद पत्रावली पी०डब्लू०–11 की साक्ष्य में नियत है। यह कि आदेश दिनांकित 04–03–2024 के क्रम में आवेदक/अभियुक्त द्वारा आज दिनांक तक कोई स्थानांतरण प्रार्थनापत्र माननीय सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थनापत्र अतैव निराधार है। "*

3– तत्क्रम में आरोप लगाये जाने के प्रश्न पर विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेखों का अवलोकन किया।

3.1– पक्षगण को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय आदेश दिनांकित 10–03–2023 के आलोक में, अभियुक्त जगवीर सिंह उर्फ जग्गो के विरुद्ध धारा–302 सपठित धारा 120 बी भा०दं०सं० के अंतर्गत आरोप लगाये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं।

4– तत्क्रम में अभियुक्त जगवीर सिंह उर्फ जग्गो के विरुद्ध धारा–302 सपठित धारा 120 बी भा०दं०सं० के आरोप लगाये गये। अभियुक्त ने लगाये गये आरोपों से इंकार किया तथा आरोप प्रपत्र पर अपने हस्ताक्षर करने से भी समक्ष न्यायालय इंकार किया गया। अस्तु पत्रावली विचारणार्थ पेश हो। अभियोजन पक्ष अपना साक्ष्य प्रस्तुत करे।

5– तत्क्रम में अभियुक्त द्वारा जोर–जोर से चिल्लाते हुये कहा गया कि " मैं आपकी अदालत में कोई काम कराना नहीं चाहता हूं। आपने मेरे अधिवक्ता सरदार सिंह को भगा दिया है।" जिस पर अभियुक्त के अधिवक्ता को धारा 317 द०प्र०सं० के प्रावधानों के प्रकाश में अभियुक्त के बर्ताव के संबंध में सचेत कराया गया।

6– पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 17–05–2024 को पेश हो।

(राकेश सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय सं०–02, मथुरा
आई०डी०यू०पी०–1614

Digitally signed by RAKESH SINGH
Date: 2024.05.14 12:42:39 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court